7.07.2020

Dr. Purnima Singh
Department of Political Science
B.A part - II paper - III Indian Government and politics. Lecture - 59
Topic - Fedralism - 5

Fedralism - 5

संघ और राज्यों में सम्बन्ध (Relation between centre and states)

1. वैधानिक सम्बन्ध (Legislative Relations)
संविधान के भाग 11 (Part XI) में अनुच्छेद 245-255 के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों के वैधानिक सम्बन्धों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 246 में तीन सूचियाँ दी गई हैं -

(1) संघीय सूची (Union List)
(2) राज्य सूची (State List)
(3) समवर्ती सूची (Concurrent List)
(4) अवशिष्ट विषय (Residuary subjects)

(1) संघीय सूची (Union List) - संघीय सूची में 97 विषय हैं। इस सूची में रक्षा, विदेशी कार्य, डाक-तार, रेलवे, टेलीफोन, सिक्के तथा राष्ट्रीय महत्व वाले विषय शामिल हैं। इस सूची में अंकित विषयों पर केवल संघीय संसद ही कानून बना सकती है,

(2) राज्य सूची (State List) - राज्य सूची में अंकित विषय 66 हैं। कृषि, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, सड़कें पुलिस और जेल आदि के स्थानीय या प्रान्तीय महत्व वाले विषय शामिल हैं। इस सूची में अंकित विषयों पर साधारण स्थिति में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।

राज्य सूची में अंकित विषयों पर केन्द्रीय संसद को कानून बनाने की शक्ति (Power of union parliament to legislate on subjects in the State List) – निम्नलिखित अवस्थाओं में केन्द्रीय संसद को राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है –

(क) राज्य सभा यदि दो तिहाई 2/3 बहुमत से राज्य सूची में अंकित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व वाला घोषित कर दे तो उस विषय पर संसद एक वर्ष के लिए कानून बना सकती है। राज्य सभा एक और प्रस्ताव द्वारा इस अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(ख) जब देश में अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत संकटकाल की घोषणा की जाए तो भी संसद को राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(ग) अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में।

(घ) राज्य विधानमंडलों की प्रार्थना पर

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए।

3. समवर्ती सूची (Concurrent List) – इस सूची में कुल 47 विषय दिए गए हैं। फौजदारी कानून, निवारक नजरबन्दी, विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद, न्यायिक प्रशासन, वन, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन आदि। इस सूची में अंकित विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। परन्तु यदि किसी विषय पर बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो केन्द्रीय संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा।

4. अवशिष्ट विषय (Residuary Subjects)- संविधान के अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत ऐसे विषय जिनका वर्णन उपरोक्त वर्णित तीन सूचियों में से किसी एक में भी नहीं किया गया, संघीय संसद को है, कानून बनाने का अधिकार

2. प्रशासनिक सम्बन्ध (Administrative Relation) संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रशासनिक सम्बन्धों की व्यवस्था की गई है

1. राज्यों द्वारा कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करने का दायित्व — संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार यह कहा गया है कि राज्य सरकारें अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग इस तरह करेंगी जिससे संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन होता रहे।

2. अनुच्छेद 257 के द्वारा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने के बारे में जरूरी निर्देश दे सकती है। इसी तरह संचार के साधनों के निर्माण और रख-रखाव तथा राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के मार्गों, पुलों, लड़कों आदि के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति केन्द्र सरकार को प्राप्त है।

3. अनुच्छेद 258 के अनुसार किसी भी कार्य को केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी को सौंप सकता है जो केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4. अनुच्छेद 261 में यह कहा गया है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें न्यायालयों द्वारा दिए गए

नीतियों को लागू करेगी और इस बारे में जरूरी कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे।

5. राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

6. अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था - ये वे सेवाएं हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, परन्तु इन सेवाओं के कुछ अधिकार प्रत्येक राज्य को दिए जाते हैं। राज्य के महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं (IAS) के अधिकारी ही काम करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कार्य तो राज्य सरकार के अन्तर्गत करते हैं, परन्तु उनकी सेवा शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

3. वित्तीय सम्बन्ध (Financial Relations) - वित्तीय क्षेत्र में भी संघ और राज्यों के मध्य साधनों का विभाजन किया गया है। वर्तमान विभाजन के अनुसार कुछ कर लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को दिया गया है, संघीय सरकार को संघीय सूची में अंकित सभी विषयों पर कर लगाने का अधिकार है और राज्य सरकारें राज्य सूची द्वारा लगाए करों को स्वयं एकत्र करती हैं और स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन व्यय करती हैं। परन्तु संघ द्वारा लगाए गए सभी कर संघीय सरकार न तो स्वयं एकत्रित करती है और न ही सभी करों के धन को स्वयं व्यय करती है।